भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 584

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

584. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के गठन के समय से इसके द्वारा आयोजित बैठकों और लिए गए निर्णयों से संबंधित आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक राज्य में स्थित और दूसरे राज्य द्वारा संचालित बांधों का एनडीएसए द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एनडीएसए ने देश भर में सौ वर्षों से पूर्व बांधों की कोई व्यापक सुरक्षा लेखा परीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने देश में विशिष्ट बांधों के उचित सर्वेक्षण, जांच और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) द्वारा विकसीत नीति, दिशानिर्देशों और मानकों को कार्यान्वित करने के लिए बांध सुरक्षा गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) का गठन किया है। इस प्राधिकरण ने अब तक बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत इसके निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ अनेक वार्ता और बैठकें की है। इस संबंध में एनडीएसए द्वारा निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए हैं:-

i. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित जागरूकता/संवेदीकरण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाएं/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए है।

ii. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और मॉनसून बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्यों की तैयारी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सभी राज्य बांध सुरक्षा संगठन के साथ नियमित रूप से क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें की जाती है। अब तक, ऐसी 11 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है।

iii. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) की अनुपालना के अनुसार, एनडीएसए को 19 बांध सुरक्षा विनियमन तैयार करने है। एनसीडीएस द्वारा ये सभी 19 विनियमन तैयार और अनुमोदित कर दिए गए है। इन 19 विनियमन में से 17 विनियमन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए है।

iv. एनडीएसए, डैम हेल्थ रिहेबलिटेशन और मॉनिटरिंग ऐपलिकेशन (धरमा) पोर्टल में सभी विशिष्ट बांधों के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस का रखरखाव करता है। सभी राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को पोर्टल में उनकी संबंधित बांधों की सभी संबंधित आंकड़े भरने के लिए निर्देशित किया गया है। फिर भी, उन्हें धर्मा पोर्टल पर सभी प्री-मॉनसून, पोस्ट-मॉनसून और विशेष जांच (यदि कोई) की रिपोर्ट भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

v. एनडीएसए द्वारा ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फल्ड (जीएलओएफ) और पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा संभावित रूप से प्रभावित होने वाले बांधों के मामले में किए गए उपायों के लिए राज्यों/ अन्य बांध मालिक एजेंसियों के साथ अनेक बैठकें भी आयोजित की गई है।

vi. एनडीएसए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और इसके उप-समितियों को लिपिकीय सहायता भी प्रदान कर रही है। अब तक, एनसीडीएस की 9 बैठकें आयोजित की गई है।

vii. देश में एनडीएसए द्वारा सभी विशिष्ट बांधों के तीव्र जोखिम आंकलन से संबंधित अधय्यन भी शूरू किया गया है। इस उद्देश्य के लिए रेपिड रिस्क स्क्रिनिंग टूल विकसीत किया गया है। राज्य के अधिकारियों/ अन्य बांध मालिक एजेंसियों के लिए एनडीएसए द्वारा अनेक प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं आयोजित की गई है।

viii. बांध पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)" के अंतर्गत सामुदायिक भागदारी के साथ देश के 25 आईकोनिक बांध स्थलों पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ग) और (घ): उन बांधों के लिए, जो एक राज्य में है और दूसरे राज्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं, के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य बांध सुरक्षा संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। तद्नुसार, इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रावधानों औऱ अन्य अधिदेशित कार्यों की अनुपालना करने के लिए ऐसे बांध मालिको को प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश दिए जा रहें हैं। इसलिए, प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के बांधों को नियंत्रित करने का प्रश्न नहीं है।

बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी, सहित, उनके संचालन और रखरखाव का कार्य मुख्य रूप से बांध मालिकों का है**,** जो मुख्य रूप से राज्य सरकार और केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होती है। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021, किसी भी तरह से राज्यों की शक्तियों का हनन नहीं करता है और इसमें राज्य सरकार द्वारा बांधों के स्वामित्व, जल हिस्सेदारी समझौता या संचालन और रखरखाव को बदलने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

(ङ) और (च): बांध सुरक्षा अधिनियम, 201 की धारा 38 के अनुसार, बांधों की विस्तृत सुरक्षा लेखा परीक्षा को पूरा करने की जिम्मेवारी बांध मालिकों की है। इसलिए, एनडीएसए द्वारा देश में किसी भी बांध का विस्तृत सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

*****